रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251670
CG-DL-E-31012024-251670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945
No. 72] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 81(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 372 (अ) तारीख 16.05.2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16.05.2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त अधिसूचना पर जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्यक्षेत्र) नियम, 1983 के नियम 8 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) की धारा 6 और धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रुप में घोषित करती है ।

[फा. सं. क्यू 15014/03/2023-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

G.S.R. 81(E).—WHEREAS draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i) vide notification of Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 372(E) dated 16.05.2023 inviting objections or suggestions from any person likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on 16.05.2023;

AND WHEREAS, no objections/suggestions were received from the public on the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 and Sub-section (1) of section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), read with rule 8 of the Air (Prevention and Control of Pollution) (Union Territories) Rules, 1983, the Central Government after consultation with the Ladakh Pollution Control Committee, hereby declares, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the whole of the Union Territory of Ladakh as Air Pollution Control Area.

[F. No. Q-15014/03/2023-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.31 21:29:05 +05'30'